"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016— भाद्रपद 25, शक 1938

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 3279/1344/2016/19/तक-4. — छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4744/लो. नि. वि./02/19 रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2002 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा बिलासपुर जिले के बरतोरी-अमलीडीहा मार्ग के कि. मी. 5/6 पर स्थित शिवनाथ नदी पुल पर पथकर की वसूली तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक 3279/1344/2016/19/तक-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3279/1344/2016/19/तक-4, दिनांक 14-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 14th September 2016

NOTIFICATION

No. 3279/1344/2016/19/T-4. — In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. 8 of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh and in pursuance of Departments's Notification No. 4744/PWD/02/19 Raipur, dated 2nd September 2002, the State Government, hereby, revokes the levy of toll on Seonath River Bridge situated on 5/6 k. m. of Bartori-Amlidiha Road in District Bilaspur with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.